BOARD OF DEPARTMENTAL EXAMINATION
SESSION NOVEMBER, 2019

Time allowed: 3 hours | Maximum Marks:100

Paper : 2 Criminal Case for IAS/HAS

Note:-

1. Attempt both questions.
2. Question carry marks indicated against them.

Q.No. 1 (a) On 19-1-16, complainant Kamal Bir Singh lodged a report at Police Station East Shimla against Sh. Jitander Kukreja s/o Sh. Surjan Kukreja who is having his house above the house of the complainant. It is alleged that Sh. Jitander Kukreja illegally and unauthorisedly extended his construction over the roof of complainant. It is also alleged that Jitander abuses & quarrels with him and it is apprehended that this may result in a serious fight with him.

After conducting enquiry, the police presented Kalandera u/s 107/150 Cr.P.C. (Mark B1&B2) against Sh. Jitander Kukreja before Ld. S.D.M. Shimla along with statements mark B3 & B4. On the basis of Mark B1 to B4, draw a notice u/s 111 Cr.P.C against Sh. Jitander Kukreja.

(15)

Q.No.1 (b) Believing mark B1 to B4 to be true, write a detailed order asking Sh. Jitander Kubreja to furnish a bond with one surety of the like amount, to keep peace and be of good behavior for one year.

(15)

Q. No.1 (c) Whether S.D.M. Shimla can ask the respondent to execute a bond with or without surety till the enquiry is concluded? Explain in detail.

(20)

Q.No.2 (a) On 26.07.2008, Sh. Udham Singh made a report at Police Station Hamirpur copies of which are "A" and "A-1". According to Udham Singh, on 25.07.2008 he was strolling near Shiv Mandir Hamirpur at 9 PM where Sh. Dinesh, Jangu, Gautam & Amit came with 'Dandas' and started abusing and beating him as a result of which he suffered various injuries besides dislocation of his tooth. After this report, Udham Singh was medically examined and police prepared Challan for the offence u/s 325,323,341 r/w Section 34 -IPC.

Prepare charge against all the accused.

(10)

Q.No.2 (b) Take in to consideration Annexures B1 to B19. & write statement of accused u/s 313 Cr.P.C.

(15)

Q.No.2 (c) Take in to consideration Annexures B1 to B19 & B 20 (Evidence in defence) and write a reasoned judgment.

(25)

***

Annexure B-2 (1)

ब अदालत जनाब उप-मण्डल दण्ड अधिकारी शहरी
शिमला जिला शिमला हि०प्र०।

ब कलन्दरा सरकार बजरिया:— कमलवीर सिंह
Flat No-45 marina
Annexe निअर मरीना
होटल The mall शिमला
तहसील जिला शिमला
हि०प्र० व उम्र 54 साल

थाना पूर्व
1/6 II
26/01/2016
शिमला-2 (हि०प्र०)

बनाम:— जितेन्द्र कुकरेजा S/O
सुरेन्द्र कुकरेजा Flat No-
49 marina Annexe
निअर marina Hotel
Shimla जिला शिमला
हि०प्र०
मो० — 88943-77898

विषय:— कलन्दरा जेर धारा 107/150 CrPC

श्रीमान जी,

निवेदन है कि संक्षिप्त हालात कलन्दरा इस
प्रकार से है कि दिनांक 19-1-16 को एक दरखास्त
हाजिर थाना आ कर दी जिस पर मन मु० आ० रमन व
हवलदार नं० 28 रोजनामचा हाजा काबिला मुकाम marina
Annexe का मु० नं० विनय नं० 756 हुआ। मौका पर जाकर
मौका पर कमलवीर सिंह को हाजिर से मौका की
तस्दीक अमल में लाई। तस्दीक पर पाया कि कलम वीर
व प्रतिवादी जितेन्द्र कुकरेजा का विवाद flat के हिस्सा
Set No-45 व Flat No 49 का है। Flat No-45 नीचे वादी
का है व Flat No-49 ऊपर वाला प्रतिवादी का है प्रतिवादी
से नीचे Side पर बाहर को वादी का एक दो मंजिला का
मकान/Flat है जिस पर लोहा टीन की छत डाली है।
जो छत Set No 45 की दिवार से हिस्सा के नीचे Flat
45 के साथ जोड़ रखी है प्रतिवादी ऊपर Flat-45 के
छत व Flat 49 के बरामदा को तोड़ कर उसमें एंगल
डाल रहा है। वादी की लोहा टीन छत दीवार के साथ लगी
हुई है। प्रतिवादी छत पर आ कर लेबर से काम करवा
रहा था जिसको दिनांक 19-1-16 को वादी ने check किया
तो देखा की छत/बरामदा को जगह जगह से अन्दर
को तोड़ कर लोहा एंगलान piece डाल रहा था जिस
को वादी ने इस काम को करने के लिए रोका तो प्रतिवादी
काम न रोका और उलट गिलोच करने लगा। मौका
पर तस्दीक के समय दिनांक 19-1-16 को प्रतिवादी व लेबर
मौका पर न थी काम बन्द था। जिस बारा वादी अपने

P.T.O.

(2)

पर भी कार्यवाही करनी बतला रहा था काफी
गाली-गलौच लड़ाई-झगड़े के बारे कार्यवाही
अमल में लाई जा रही थी। तो दिनांक 20-1-2016
को [illegible] वादी ने एक दरखास्त पेश पुलिस थी [illegible]
21-1-16 को One Line Complaint समय 11:53 बजे [illegible]
-ance 20-1-16 थाना पर प्राप्त हुई। जिसकी तस्दीक
मन मु० आर० ने मौका पर जाकर वादी से हाजिर मिल
कर पूछ-ताछ की गई तो बतलाया कि दिनांक 19-1-16
को समय करीब 9 बजे रात जितेन्द्र कुकरेजा 3-4 व्यक्ति
के साथ वादी की छत पर गाली-गलौच कर रहा था जिस
वादी व प्रतिवादी को सीढ़ियों से आकर वादी के छत वाले
flat के सामने बाहर गाली-गलौच करने लगा और
मारने की धमकी देने लगा। और मार-पीट के लिए
उतारू होने लगा। जिसपर वादी वादी की धर्मपत्नी व
बेटे ने अन्दर कमरा में ले गये। वादी की पत्नी ने
जितेन्द्र कुकरेजा को दरवाजा से समझाने लगी परन्तु
न समझा तो वादी की पत्नी भी अन्दर कमरा में चली
आई तो भी प्रतिवादी गाली-गलौच व [illegible] लगा। जिसको
पर धमकी देता हुआ कुछ देर में चला गया। जामानत गवाह
तस्दीक मन मु० आर० ने मौका पर लाई जामानत गवाह
कलम बन्द किये जामानत गवाह व सरसरी दरयाफ्त
जितेन्द्र कुकरेजा वास्तु ही झगड़ालू किस्म का व्यक्ति
है जो अक्सर पड़ोस के अन्य लोगों के साथ भी गाली
-गलौच करता है। जो वादी को भी परेशान कर रहा
है जो कभी भी वादी व उसके परिवार को जान-माल
नुकसान पहुंचा सकता है जिससे इलाका में अशान्ति
का वातावरण पैदा हो सकता है। तो प्रतिवादी के खिलाफ
कानूनी कार्यवाही की जानी वांछित है

अतः प्रतिवादी जितेन्द्र कुकरेजा के
खिलाफ कलन्दरा जेर धारा 107/150 CrPC मुरत्तब
पेश अदालत किया जा रहा है। अदालत मिजाज से
प्रार्थना है कि प्रतिवादी जितेन्द्र कुकरेजा को धारा 1
(3) CrPC के अनुसार भारी से भारी रकम में व[illegible]
जमानत व बर मुचलका पर पाबन्द किया जाए ता[illegible]
इलाका में कोई संगीन जुर्म न होना पाये। कलन्दरा
मुरत्तब करके ब्राये समाअत जनाब. की अदालत में
पेश किया जा रहा है की समाअत फरमाई जावे।

फहरिस्त गवाहन

I कमलजीत सिंह S/o Sh. हरबन्स सिंह (Harbans [illegible]) [illegible]
Flat No-45 Magima Annexe [illegible]

जगात

3 (3)

1. होटल दी माल शिमला, तह० व जिला शिमला, हि०प्र०
फोन नं० 98160 54954

2.) साहिब सिंह S/o श्री कमल वीर सिंह R/o Flat No-45 Marina Annexe नियर मरीना होटल दी शिमला हि० प्र०

3) श्रीमति जगजीत कौर W/o श्री कमल वीर सिंह R/o Flat No-45 Marina Annexe नियर मरीना होटल दी माल शिमला जिला शिमला हि०प्र०।

4. मु० आ० साहब सिंह नं० 1669 I/o P.S. East शिमला जिला शिमला।

तफसील कागजात

I कालनदरा हाजा — 2 वर्क

(2) नकल रपट नं० 28 रोजनामचा दिनांक 19-1-16 व नकल रपट नं० 39 dt 19/1/16 — 2 वर्क

(3) असल दरखास्त मय online Complaint — 3 वर्क

(4) ब्यानात गवाहन — 3 वर्क

(5) सजा सालिम — 1 वर्क

Singh
मु० आ० साहब सिंह
नं० 1669
I/o P.S. East
शिमला जि० शिमला

Sir, Submitted ple.

S.H.O.
POLICE STATION
EAST SHIMLA

Annexure B-1

Himachal Pradesh Police

Daily Station Diary

DISTRICT	SHIMLA	Police Station	SHIMLA EAST
GD Number	028	GD Date	2016-01-19 12:46:08
GD for Officer	Chander Shekhar Kaith		
Name of Writer	Duty Officer		
Officer Rank	I (Inspector)		
GD Type	Departure		
GD Subject			

General Diary Discription

इस समय Kamal Bir Singh Set no 45 Marins Anexi The Mall Shimla ने हाजिर थाना आकर एक दरख्वास्त पेश की जिसका विवरण इस प्रकार से है," सेवा मे श्रीमान SHO साहिब थाना छोटा शिमला हि0प्र0 श्रीमान जी निवेदन है कि मै Set no 45 मरीना एनेक्सी माल रोड का पिछले 25-30 वर्षो से स्थाई निवासी व मालिक हूँ मेरे घर की छत के ऊपर आगे को मेरे flat के ऊपर वाला पडोसी जितेन्द्र कुकरेजा S\O सूर्जन कुकरेजा flat no 49 वाला अवैध अनाधिकृत निर्माण मेरी छत के ऊपर आगे को कर रहा है और गाली गलौच व लडाई झगडा करता है उकसाता है कही ये लडाई झगडा कोई गंभीर लडाई का कारण न बन जाए अत: उसे मेरी छत पर चढने से रोका जाए आपकी अत्यन्त कृपा होगी और उसने हमारे घर की लोहे की चादरे भी तोड दी है और मै हाई ब्लड प्रैशर व शुगर का रोगी हूँ। Sd/-Kamal Bir Singh कार्यवाही पुलिस:- प्राप्त दरख्वास्त को शब्द व शब्द रोजनामचा में टंकित किया गया। मजमून दरख्वास्त मे तैहरीर तथ्यों की तस्दीक की जानी आवश्यक हैं जो असल दरख्वास्त मु0आ0 माधू सिंह न0 1669 को सौंपा जाकर मय आ0 विनय न0 756 व शिकायतकर्ता उपरोक्त के बाये हालात तस्दीक मौका का रवाना किया जाकर हिदायत मुनासिब करी गई।

Signature of Reporting Officer/Reporting Person

Reporting Officer	Chander Shekhar Kaith
Date	2016-01-19 12:46:08

65

257/SA
19/11/15

सेवा में

श्रीमान S.H.O साहिब
थाना छोटा शिमला
शिमला हि० प्र०

श्रीमान जी

निवेदन है कि मैं Set No 45 मरीना कॉलोनी माल रोड का पिछले 25-30 वर्षों से स्थाई निवासी व मालिक हूं। मेरे घर की छत के ऊपर आगे को मेरे flat के ऊपर वाला पड़ोसी जितेन्द्र कुकरेजा S/o सुर्जन कुकरेजा flat No 49 वाला अवैध अनाधिकृत निर्माण मेरी छत के ऊपर आगे को कर रहा है और गाली गलोच और लड़ाई झगड़ा करता है उकसाता है। कहीं ये लड़ाई झगड़ा कोई गंभीर लड़ाई का कारण न बन जाए अतः उसे मेरी छत पर चढ़ने से रोका जाए और मेरी छत पर अवैध निर्माण न करने दिया जाए। आपकी अत्यन्त कृपा होगी। और उसने हमारे घर की लोहे की छत की चादरें भी तोड़ दी है, और मैं हाई ब्लड प्रेशर व सुगर का रोगी हूं। धन्यवाद

प्रार्थी
Kamal Bir Singh
Set No 45, Marina Anexi
The Mall- Shimla.
9816054954

Annexure B-3

ब्यान अजीव साहिब सिंह S/o श्री कमलवीर सिंह R/o Flat No-45 Marina Annexe The Mall Shimla H.P. व उम्र 9 साल

ब्यान किया कि मैं उपरोक्त पते का रहने वाला हूँ और अपने माता-पिता के साथ Marina Annex में रहता हूँ दिनांक 19-1-16 को मैं करीब 9 बजे अपने घर पर ही था तो जितेन्द्र कुकरेजा जिसका Set No-46 है। हमारे घर के ऊपर सीढ़ी के ऊपर छत पर छज्जा को तोड़-मोड़ कर के लोहे के अंगल छज्जा में डाल रहे थे तो मेरे पिता जी ने जितेन्द्र कुकरेजा को इस काम करने के लिए रोका तो वह बाकि मेरे पिता जी के साथ गाली-गलोच करने लगा और काम कर मेरे पिता जी ने पुलिस में रिपोर्ट करवाई पुलिस ने [illegible] फिर मेरे पिता जी ने पुलिस मौके से चला गये के मौके पर पहुँचे तक जितेन्द्र कुकरेजा मौके से [illegible] फिर मैं था दिनांक 19-1-16 को रात को करीब 9 बजे फिर से मेरे जितेन्द्र कुकरेजा तीन-चार व्यक्तियों के साथ फिर से गाली-गलोच कर पिता जी के Flat की छत पर आ कर [illegible] दरवाजे के सामने लगा और फिर मौके से नीचे उतर कर और आग से मारने की बात गाली-गलोच करने लगा और फिर उत्तेजित हो रहा था धमकी देने लगा और मार-पीट की फिर [illegible] थाना पर और कहने लगा की अगर मेरे खिलाफ [illegible] थाना पर जाऊँ तो मार दूँगा। फिर मेरे माता जी ने मुझे व मेरे पिता जी को अन्दर कर दिया और मेरी बात पर मेरे पिता जी ने इन लोगों को दरवाजे से ही बात-चीत की। पिता ने [illegible] कुकरेजा एक झगड़ालू किस्म का आदमी है जो किसी भी वक्त मार-पीट और हमारे परिवार के साथ लड़ाई-झगड़ा करके कार-[illegible] कर सकता है। यही मेरा ब्यान है जो मेरे कहे अनुसार लिखा है।

(Signature)
31-01-16

साहिब सिंह S/o श्री कमलवीर सिंह

(Signature)
H.C. Malhotra
I/c P.S. [illegible]

Annexure B-4

ब्यान श्रीमती कमलजीत कौर W/o श्री कमल ... [illegible] the wall

ब्यान किया कि मैं उपरोक्त पते की रहने वाली हूँ और अपने परिवार के साथ Mahima Annexe में रहती हूँ। हमारे Flat के ऊपर जितेन्द्र कुकरेजा के मकान का Flat No-49 है उसके नीचे हमारा 2 Flat है। जितेन्द्र कुकरेजा कुछ दिनों पहले से ऊपर तोड़-फोड़ कर रहा था जिसकी आवाजें सुनाई दे रही थी। दिनांक 19-1-16 को मेरे पति श्री कमल वीर सिंह ने नीचे से देखा। फिर छत पर जा कर देखा तो जितेन्द्र कुकरेजा लेबर ले कर छत की तोड़-फोड़ छत पर शुरू कर रहा था। मेरे पति के कहने पर वह गाली-गलौच करने लगा। और काम को बन्द न कर रहा था जिस पर मेरे पति ने पुलिस में रिपोर्ट करवाई पुलिस के मौके पर आने से पहले जितेन्द्र कुकरेजा वहाँ से चला गया था। फिर दिनांक 19-1-16 को रात के समय करीब 9 बजे जितेन्द्र कुकरेजा तीन-चार व्यक्तियों के साथ ऊपर छत पर आ कर मेरे पति को गाली-गलौच करने लगा फिर नीचे सीढ़ियों से उतर कर हमारे दरवाजे के सामने बाहर आ कर गाली-गलौच करने लगा और मेरे पति को जान से मारने की धमकी देने लगा और मार-पीट करने के लिए उतारू हो रहा था। फिर मैंने अपने पति व बेटे को घर के अन्दर कर के जितेन्द्र कुकरेजा को समझाने लगी कि हमारे छज्जे व छत को नुकसान न कर तो वह काबिल न माना फिर वह गाली-गलौच कर रहा था और कहने लगा कि अगर पुलिस के पास और गये तो मार दूँगा। जितेन्द्र कुकरेजा झगड़ालू किस्म का आदमी है जो किसी भी समय मेरे पति व परिवार को नुकसान पहुँचा सकता है। जितेन्द्र के न सुनने पर के अन्दर चली गई तो वे व्यक्ति भी वहाँ से गाली-गलौच करता हुआ चला गया। मेरा ब्यान है जो मैंने पढ़ लिया है।

Unthe [illegible]

AHC Madhu Singh
10 P.S. East Bml.
23-1-16

कमलजीत कौर W/o श्री कमल वीर सिंह
दिनांक 23-1-16

को तोड़ कर लोहा डाल रहा है ... को वादी ने इस काम को करने के लिए रोका तो प्रतिवादी काम न रोका और गाली-गलौच करने लगा। मौके पर तस्दीक के समय दिनांक 19-1-16 को प्रतिवादी ... मौके पर ... [illegible]

P.T.O.

(8)

FIRST INFORMATION REPORT

S.R.NO.: [illegible]3 — .11 00 — **(Under Section 154 Cr.P.C.)** — BOOK NO.: 9

1. District: HAMIRPUR P.S.: SADAR HAMIRPUR Year: 2008 FIR No.: 223 Date: 25-07-2008

2. Act(s): Section(s):
   (i) IPC 1860 341/323/34
   (ii)
   (iii)
   (iv)

3. Occurrence of Offence:
   (a) Day: Friday Date From: 25-07-2008 Date To: 25-07-2008
   Time Period: Time From: Time To:
   (b) Information received at P.S: Date: 25-07-2008 Time: 23:45 hrs
   (c) General Diary Reference: Entry No.: 90 Time: 23:45 hrs

4. Type of Information: WRITTEN

5. Place of Occurrence:
   (a) Direction and Distance from P.S: South/500.0 Km. Beat No.: 07
   (b) Address: ANU, HAMIRPUR
   (c) In case, Outside the limit of the Police Station:
   Name of P.S: District:

6. Complainant/Informant:
   (a) Name: उधम सिंह (S/O) स्व० गोविन्द राम
   (b) Birth Year: 1943 Nationality: INDIA
   (c) Passport No. Date of Issue: Place of Issue:
   (d) Occupation:
   (e) Address: वार्ड न० 1 H.N0. 77 हीरा नगर हमीरपुर हि०प्र० ।

7. Details of Known/Suspect/Unknown accused with full particulars(attach separate sheet if necessary):
   (i)
   (ii)
   (iii)

8. Reason for delay in reporting by the complainant/informant: NO DELAY

9. Particulars of the properties stolen/involved(attach separate sheet if necessary):

Sl.No.	Property Type(Description)	Est. Value(Rs.)	Status
(i)			
(ii)			
(iii)			

10. Total value of property stolen:

11. Inquest Report/U.D Case No., if any:

District: HAMIRPUR P.S.: SADAR HAMIRPUR Year: 20[illegible] FIR No.: 223 Date: 25-07-2008

F.I.R Contents(attach separate sheet,if required):

इस समय एक व्यान U/S 154 Crpc अजाने उद्यम सिंह S/O Late Sh. गोविन्द राम जाति राजपूत R/o बार्ड न० 1House N0 77 हीरा नगर हमीरपुर का सत्यापित ASI जय गोपाल I/O P.S. Sadar HMR. ने खुद लाक[illegible] किया जिस का विवरण निम्न है:- ब्यान किया कि मैं उपरोक्त पते का रहने वाला हूँ तथा GREF से सेवा निवृत हुआ हूँ। आज दिनांक 25-7-08 को समय करीब 9 बजे मैं खाना खाने के बाद हर रोज की तरह धुमने निकला था तथा समय करीब [illegible]0 बजे जब मैं [illegible] चौक के समीप शिव मन्दिर के पास पहुचां तो सड़क में कुछ बच्चे खेल रहे थे तथा गाडियाँ आ जा रही थी जिस पर मैंने बच्चों को [illegible] जाने के लिए कहा तो सडक के किनारे दुकान की छत पर बैठे लड़कों ने एकदम नीचे उतर कर मेरे साथ गाली – गालोच शुरु कर दी तथा [illegible] मारना शुरु कर दिया। जिससे मेरे नाक ,मुहं , होठ , दांत तथा पसली पर चोटे आई है तथा कपड़े खून से लथपथ हो गए है। मारपीट करने वाले लड़को के नाम दिनेश ,जगू , गौतम व अमित मालुम हुए है। इन चारो लडको ने मुझे सड़क के किनारे विना बजह घेर कर पत्थरो व लात मुक्को से मारपीट की है तथा मेरा दांत भी तोड़ दिया है। मैं सड़क पर गिर गया था मुझे एक व्यक्ति ने उठाया जिसे मैंने अपने घर का फोन न० बतलाया जिस ने घटना की सूचना फोन द्वारा मेरे घर दी तथा मेरा वेटा विशाल ठाकुर मुझे ब्राये इलाज हस्पताल लाये है जहाँ आप मिल गये। दोषियो के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाये। SD- उद्यम सिंह Attested ASI Jai Gopal I/O थाना सदर हमीरपुर DT. 25-7-08 at 11.15 PM कार्यवाही पुलिस:- इमरोज मन ASI मय HC चरणजीत सिंह न० 268 , आ० चालक कमलजीत सिंह न० 258 , दिनेश कुमार न० 216 , HHG अशोक कुमार 10/2-72 व HHG दलीप सिंह 10/4-92 व सवारी गाड़ी सरकारी HP22 - 0100 ब्राये तस्दीक हालात रपट न० 82 मुकाम लम्बलु जा रहा था तो थाना से बजरिया सूचना दी कि अणु में झगड़ा हो रहा है मौका पर जाये तथा यह भी सूचना मिली कि लम्बलु में घायल व्यक्ति को RH हमीरपुर ले आये है जिस पर मन ASI मय हमराही कर्मचारियों के RH हमीरपुर पहुचां तथा HC चरणजीत सिंह को मय आ० चालक व सवारी गाड़ी सरकारी तथा दोनो गृह रक्षकों सहित अणु जाकर कार्यवाही करने हेतु भेजा जो RH हमीरपुर मैं लम्बलु से कोई भी व्यकित इलाज हेतु न आना पाया गया तथा उद्यम सिंह उपरोक्त को उस का बेटा विशाल ठाकुर ब्राये इलाज RH लाया जिस का मैडिकल मुलाहजा करवा कर दरयाफत अमल में लाई जिस ने अपना व्यान U/S 154 Cr.PC मन ASI के पास कलमबन्द करवाया जिसे शब्द व शब्द लिखा जाकर मजकूरा को पढकर सुनाया व समझाया गया जिस ने अपने व्यान को सही मानते हुए जेरे व्यान खुद के नीचे अपने हस्ताक्षर व हरूफ हिन्दी शब्द किये तस्दीकन मैने भी अपने हस्ताक्षर किये है। मजबून व्यान से मामला जेर धारा 341,323, 34 IPC का बकूह में आना पाया जाकर असल व्यान ब्राये कायमी मुकदमा थाना लाया है। मुकदमा दर्ज रजि० करके नम्बर मुकदमा से सूचित करे मन ASI रात्री डयूटी पर हाजिर थाना हुं ।SD- ASI Jai Gopal I/Oथाना सदर हमीरपुर DT. 25/7/08 at 11.30 PM Camp at RH HMR . कार्यवाही थाना:- उपरोक्त ब्यान का शब्द व शब्द लिखा गया मुकदमा व जुर्म को पंजीकृत थाना किया करवाया गया FIR की जरूरी कापियां तैयार करके माननीय इलाका मैजिष्ट्रेट व उच्च अधिकारियों की सेवा में डाक द्वारा भेजी जा रही है अपराध का पंजीकरण थाना के सबन्धित रजिष्ट्रात में करवाया गया अपराध फाईल तैयार करके तफ्तीश हेतु ASI जय गोपाल को दी गई।

13 . Action Taken(Since the above information reveals commission of offence(s)u/s as mentioned at item No.2:

(i) Registered the case and took up the investigation OR

(ii) Directed(Name of the I.O): ASI JAI GOPAL I/O P.S HAMIRPUR Rank: ASI
No.: 00015054 to take up the investigation, OR

(iii) Refused investigation due to: OR

(iv) Transferred to P.S(name): District:
on point of jurisdiction.

F.I.R read over to the complainant/informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant, free of cost:

R.O.A.C:

14 .

Signature / Thumb Impression of The Complainant/Informant:

Signature of Officer
Name: INSPR. ANJANI KUMAR SHO P.S HAMIRPUR
Rank: INSP No.: 00018240

Annexure B1

Govt vs. Raj Kumar

FIR 21-I/08

PW-I — 3 —

ब्यान श्री विशाल ठाकुर पुत्र जगदीश ठाकुर उम्र 34 वर्ष वासी हीरा नगर W.No.1 हमीरपुर।

ब्यान ता० 4.2.2010

ब्यान किया कि मैं Thakur Auto workshop हमीरपुर में चलाता हूँ। ता दिन 25.7.2008 की बात है। तकरीबन पौने दस बजे रात की बात है। मुझे किसी व्यक्ति का Telephone द्वारा बताया कि किसी व्यक्ति के साथ मारपीट हुई है व उस व्यक्ति ने तेरा [illegible] नाम लिया है। यह मारपीट सड़क में हुई थी। मैं इसके बाद मैं गाड़ी लेकर मौका पहुँचा वहां मैंने देखा कि मेरे पिता लहू लुहान सड़क के किनारे में थे और पिता को मुंह नाक या पीठ पर शरीर में चोटें लगी हैं। मेरे पिता ने बताया कि ये मारपीट उसे [illegible] दिनेश अशोक का [illegible] की है। जब मैं मौका पर पहुंचा तो वहां पर Thakur Bus खड़ी थी व (बिजली बोर्ड का कर्मचारी उसका चालक था)

4.2.2010

[illegible]
3-4-[illegible]

फिर मैं अपने पिता को गाड़ी में डाल कर
कर हस्पताल ले गया। उसके
बाद Police हस्पताल में आई थी
अस्पताल में मेरे पिता का ब्यान हुआ
था। उसके बाद 5-8-2008 को इलाज
करते मौका अर्ज मे आए थे। मैं मौका
पर हमारे ब्यान हुए। घटना के मेरे
पिता का पहना हुआ Night suit जिसे
Ext PW1/A द्वारा कब्जे में लिया
जो मेरे पिता ने दिया था। वहीं पर
मेरे दस्तखत अंग्रेजी भाषा में हैं।
At this stage the parcel
produced before the Court.
Seals are intact. sealed with
seal impress "T", Parcel Ext 'PA' पर
मेरे दस्तखत अंग्रेजी भाषा में हैं।
Ld. APP prayed to open the
parcel. Heard & prayer allowed.
Ext 'PA' पुलंदा को खोलने पर, एक कमीज कुर्ता
Ext P-1 व पजामा Ext P-2 निकला
देख लिया है वही है जो मेरे पिता ने उस दिन
पहना था। खून लगे हुए हैं कमीज के पास
का बाजुओं का पजामा पर लगा था।

B25

P.ch 211-3/08

(12)

मेरे ~~[illegible]~~ को पता ना है कि इन दोनों ने मेरे पिता को क्यों जानबूझ कर [illegible] [illegible] अस्पताल है।

जिरह:

हम दो भाई हैं। मेरे बड़े भाई का नाम राजीव कुमार है। वो मेरे साथ उस वक्त ना था। ये गलत है कि मैंने उपरोक्त ब्यान गलत दिया है। ये गलत है कि मेरे पिता ने उस रोज़ ज़्यादा शराब पी रखी थी। ये भी गलत है कि मेरे पिता चलने फिरने में [illegible] ना थे। ये भी गलत है कि मेरे पिता को भाई लेने के आई थी। मैं ना जानता हूँ कि अजीत Bajaj Allianz Insurance Company के बारे काम करता था। ये गलत है कि इसी [illegible] [illegible] के [illegible] गया था। मुझे पता ना है कि वे लोग अजीत के घर [illegible] पर बैठे थे। मैं ना जानता हूँ कि बालो देवी नामक की कोई औरत राजीव के मकान के [illegible] रहती है। ये गलत है कि

[illegible] Prakash
Judicial Magistrate
Court No. [illegible]
4.2.2010

8-4-11

B 3

(13)

-4-

6

नशा शराब में मेरे पिता उसे
गालियां दे रहे थे यह गलत है
हाजी ने मेरे पिता को कहा हो
कि गालियां क्यों दे रहे हो।
यह भी गलत है कि इस पर मेरे पिता
ने ~~[illegible]~~ पत्थर मारना शुरू कर
दिए थे और कि एक पत्थर अजीत के
सिर पर लगा था। यह गलत है कि
इस पर अजीत उपर को गली और
पत्थर की लगी था खून निकला था।
यह भी गलत है कि अजीत के कपड़े
खून से खराब हो गए थे। यह
गलत है कि अजीत जब नीचे आया था
तो मैंने, मेरे भाई ने उसे पिटना
शुरू कर दिया था। यह गलत है कि
अजीत को छुड़ाने के लिए बाकी दोषीगण
मौका पर आए थे। खुद कहा उस समय
मौका पर कोई ना था। मैं नहीं
बता सकता कि इस वारदात की दोषी
अजीत ने F.I.R. थाना में दर्ज करवाई थी
जिसका F.I.R. No. 222 था P.S. थाना
थाना हमीरपुर में दर्ज है। मैं

6

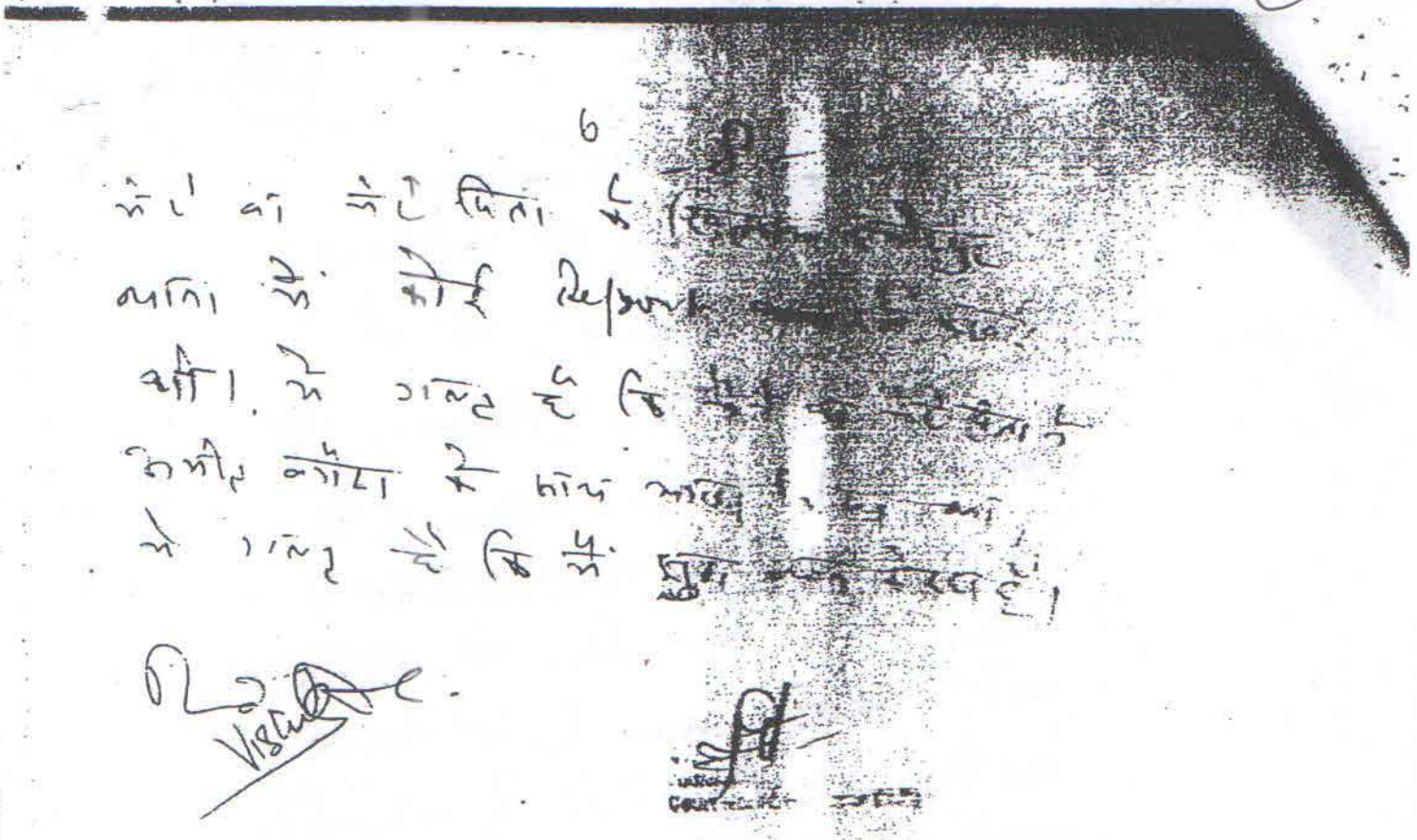

मैंने या मैंने पिता ने [illegible]
लाया है कोई Report [illegible]
थी। मैं जानता हूँ कि [illegible]
जमीन बांटा है काम [illegible]
मैं जानता हूँ कि मैं झूठा [illegible] रहा हूँ।

[signature]

[signature]

PW 2 ब्यान श्री प्रकाश चन्द पु० [illegible]
उम्र 54 वर्ष वासी [illegible] हमीरपुर।
स.श.प.
[illegible]-2010

ब्यान किया कि मैं Electricity Board हमीरपुर मे पहले lineman था तथा अब foreman promote हो गया हूँ। मैं अपने [illegible] 1995 से ले कर 2009 तक [illegible] हूँ। तारीख [illegible] याद ना है। मैं [illegible] तकरीबन 8 बजे शाम की है। [illegible] बाहर थे और [illegible] दिया। मैं [illegible] को [illegible] देख रहा था नहीं [illegible]

मैं बता सकता कि इस पर अजीत का
medical भी हुआ था। मैं नहीं
बता सकता कि इसके खिलाफ भी
शिकायत की थी। यह गलत है कि
इसने Police के लोग साजबाजी हो
कर उनका केस कोर्ट में लगा दिया
था। Police ने नेटपिता के
10 दिन बाद लिए थे। यह गलत है कि
इसके नेटपिता के कपड़ों पर
खून नहीं लगा था। [illegible] कि
मैं नहीं बता सकता हूँ कि
उस वक्त आस पास के
लोग जमा रहे थे। यह ठीक है कि
नेट या नेटपिता की
दोषीमत के खिलाफ किसी प्रकार की
कार्यवाही ना की। या ना ही पहले
से इन्हें जानते थे। यह गलत है कि
इसने झूठा केस दोषीमत पर लगा
दिया था।

x x x

[illegible]

1 यह ठीक है कि नेटपिता काफी [illegible]
जुनागा जिला आते रहे हैं। [illegible]
[illegible] मुझे पता ना है कि 25.7.2008

[illegible]

B-5
PW 9 [illegible] Rajiv

को ज्यादा दिखाई देता है। जहां पर 5-6 आदमी थे [illegible] उनके बाद वो आपस में चले गए वा एक बुजुर्ग आदमी वहीं मौका पर रह गया। At this stage the witness resiled from the statement recorded u/s 161 Cr.P.C. Ld. APP prayed to cross-examine the witness. Heard & allowed. मैं यह कहना कि यह बात 25-7-2008 की है। मेरी duty रात्रि 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक की थी। मैं नहीं कह सकता उस रात इन तीन आदमी duty दे रहे उन तक के आदमी complaint attend करने द्वारा गए थे। उस दिन मेरे [illegible] 7½ बजे complaint attend करने गए थे। मैं [illegible] 9½ बजे के करीब वापिस पहुंच आ गए थे। यह गलत है कि [illegible] के सामने [illegible] पर थे। मैं राजीव @ [illegible] को जानता हूं क्योंकि इसका घर complaint office के

पास ही है। वा २० मीटर [illegible]
ठीक है कि इनके पास [illegible]
रहती है। ये ठीक है कि [illegible]
राजीव कुमार के पास रखी [illegible]
गलत है कि मैंने रेखा [illegible]
के नाम-रोशनी तथा [illegible]
पढ़ा था। ये भी गलत है कि [illegible]
ने उपरान्त लेटे के नाम- [illegible]
थी। ये गलत है कि रोशनी [illegible]
नाम निलंबन- रोशनिया [illegible]
राजेन्द्रा का रिश्ता [illegible]
उपरान्त पिट के साथ [illegible]
थी। ये भी गलत है कि [illegible]
सभी लोग इसके होने [illegible]
रोशनीया कहीं से भाग गए थे। ये
गलत है कि पुलिस ने, मौके से
पर उनका पुलिसनामा की [illegible]
कोई रास्ते जैसी नाम [illegible]
वाले मैंने पिट का [illegible]
पुलिस ने कोई पुलिसनामा ना की
थी। ये गलत है कि मैं रोशनी
को बचाने के लिए, उनके मिलकर

9 PCN 211-II/08

|| St Vs Rajiv

मेरा बयान दे रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि जगदीश प्रसाद किशन का लड़का है। मैं ना बता सकता कि जगदीश के खिलाफ और भी मुकदमे Police Station में दर्ज हैं। मैं ना बता सकता कि उसने घर के मालिक के सिर पर चोट लाठी मारी। खुद कहा कि मैं मौका पर ना गया था। मैंने कोई भी आदमी को ना देखा जो मजरूब को वहाँ से इलाज हस्पताल ले जाते ना देखा था। मैं विशाल ठाकुर को ना जानता हूँ। बयान मार्क X-2 का भाग A to A [illegible] लिया है वो गलत है। ऐसा बयान मैंने पुलिस को ना दिया था। खुद कहा कि आज से [illegible] साल पहले Police वाले मेरे पास आए थे व मेरे हस्ताक्षर करवाए थे। जो बयान और [illegible] Sign करवाने आया था वो Sub Inspector था व उन्होंने कहा था कि आपको बुलाया जाएगा। यह गलत है कि मैंने Police को बयान दिया था इसलिए Police वाले

ने मुझे इनके बारे बताया था। मैंने कहा कि जिस कागज पर मैंने दस्तखत किए थे वो पढ़ा नहीं था। मैं सातवीं कक्षा तक पढ़ा हुआ हूँ जिसमें 33 अक्षरों से परिचित हूँ। मैं सरकारी कागजों पर बिना पढ़े दस्तखत ना करता हूँ। ये गलत है कि मेरी रिश्तेदारी [illegible] होने की वजह से मैं इन्हें बचाने के लिए झूठा ब्यान दे रहा हूँ।

ये ठीक है कि मैं [illegible] गांव के आसपास के लोगों को जानता हूँ। मैं 1995 से लेकर [illegible] में 2009 तक कार्यरत रहा हूँ। आरोपी अपनी नानी के साथ रहता है। ये ठीक है कि आरोपी के मकान के निकट उनके [illegible] की [illegible] हैं वो [illegible] के [illegible] हैं। ये भी ठीक है कि [illegible] ने [illegible] को किराये पर पहले दिया था।

15 (20)

B-7

-11.

P.Ch. 211-I/08

State vs Rajiv

यह कहना 5-6 शराबी शराब पीकर हल्ला डाल रहे थे। ये गलत है कि Ring का Driver उसी वक्त में बैठा था (खुद) कहा कि वह Love था। ये गलत है कि उस वक्त मैं बाहर हुई थी तो लोग जागते थे। (खुद) कहा जो गए थे। मैं ने बता दिया कि दोषियान पर ही झूठा केस बनाया गया है।

मेरी दोषियान से कोई रिश्तेदारी या जान पहचान ना है

RO&AC

पुकारा

Judicial Magistrate
Court No. IV, Hamirpur (H.P.)
4.2.2010

3-11-13

P.Ch. 211-II/08 (21)

HP State vs Rajiv

PW 3 ब्यान श्री राजेश कुमार [illegible] उम्र [illegible] होटल वाले [illegible] P.O. [illegible] जिला हमीरपुर

बाशपथ
5.2.2010

ब्यान किया कि मैं Thakur [illegible] Service में [illegible] बस को चला रहा हूँ। [illegible] मैं [illegible] नहीं करता हूँ। [illegible] मुझे [illegible] है। [illegible] [illegible] कोई लड़ाई झगड़ा न देखा। Conductor Resiled from his statement. The witness U/S 161 Cr.P.C. Ld. APP want to cross examine the witness. Allowed. [illegible] खाना खाने [illegible] [illegible] Road side Restaurant में [illegible] कहा कि वहाँ [illegible] [illegible] खाना खा कर [illegible] 10 बजे [illegible] [illegible] Conductor [illegible]

Sanjay Prakash
Judicial Magistrate
Court No. IV, Hamirpur (H.P.)
5-2-2010

Jogindernagar मार्केट गांव का रहने
वाला है। मार्केट गांव से लगभग
15 K.M. दूरी पर है। हमारे गांव
गांव में 5-6 बसें आती जाती हैं।
यह गलत है कि जब मैं पैसे ले कर
वापिस आया था तो मैंने दोषीगण को
किसी को गाली [illegible] मौका पर
देखा था। यह गलत है कि
दोषीगण उत्तम सिंह के साथ
मारपीट कर रहे थे। यह भी
गलत है कि उत्तम सिंह के सिर
व पीठ पर चोटें लगी थी।
यह भी गलत है कि उसका लड़का
व अन्य लोग उसे बचा के इलाज
हस्पताल ले गए थे। यह
गलत है कि जब मैं खाना खाने
गया था तो झगड़ा पहले हो चुका
था। [illegible]
[illegible] हो गया। मौके पर Police
वालों ने कोई पूछताछ ना की थी।

2/11/12

3/6 अं. 211-II/08 (23)
St vs Rajiv

प्रश्न किया कि मेरा नाम पुष्पा वर्मा
का कोई प्रमाण ही [illegible] को।
मु. दोषीगण को न जानता हूँ।
ये गलत है कि मु. दोषीगण को
बचाने के लिए झूठा ब्यान दे रहा
हूँ। ब्यान मार्क X-3 को
[illegible] दिया है
ऐसा ब्यान मैंने पुलिस को न
दिया था।

मेरी दोषीगण से कोई
रिश्तेदारी या दोस्ती (friendship) नहीं है।

राजेश कुमार

Prakash
Judicial Magistrate
Court No. IV, Hamirpur (H.P.)
5-2-2

Placed
Dated 3-4-13

.. B-9
Pet. 211-I/08

17
(24)

Sh. v. Rajiv Kumar

17-

PW-4 Statement of Dr. Sh. Sanjiv Swamy
Radiologist R.H. Hamirpur

On Oath.
6.2.2010

Stated that I am posted in R.H. Hamirpur since 2008. On dated 26.7.2008, I reported on the X-ray of Sh. [illegible] Uttam Singh. From X-ray No. 478 to 483 there was fracture of 8th Rib on the left side. My report to that effect is Ext. PW4/A. I also examined X-ray No. 577 of this patient and on examination, there was fracture of nasal bound. My report to that effect is Ext PW4/B. The above said reports are written in my hand and bears my signatures.

x x x x x

[illegible]

Judicial Magistrate
Court No. IV, Hamirpur (H.P.)
6.2.2010

[illegible]
Examiner

(25)

18

अपरान्ह X-ray लिया जाता है और यह मैं पता था हूँ। मेरी रिपोर्ट Radiographer द्वारा लिए गए X-rays पर ही निर्भर है। मैंने अपनी तरफ से कोई X-ray नहीं लिया है। X-ray No. 577 nasal bone का भी Radiographer ने लिया था। It is correct to suggest that the injuries shown in the X-ray are possible due to fall on hard surface.

R.O.&A.C.

(signature) 6/2/2010

(signature) 6.2.2010

PW5 ब्यान श्री मुकेश ... Radiographer R.H. हमीरपुर।

व्यान किया कि मैं सन् 1994 से बतौर Radiographer तैनात रहा हूँ। मैंने 26.7.2008 को उपरोक्त पीड़ित के X-rays Skull, chest, L.S. spine, व 13.9.2008 को X-ray Nasal bone ... Dr. Karanti व Dr. K.S. Dogra

(signature)

के कहने पर लिए थे। [illegible] का
हाथ का X-ray Dr. Kamaljit के कहने
पर किया है। वो उपरोक्त filming
तैयार करके वापिस शाम हेतु Dr. Sanjiv
Sharma a Radiologist को सौंप दिए थे।
(सिलसिला ~~Ext~~) X-ray filming Ext
PA-6, Ext. PA-7 मैंने
तैयार करवाया है। इसी तरह ~~X-ray~~ no.
PA-8, भी मेरा तैयार करवाया है।

^ ^ ^ ^

मैंने X-ray लेने का समय
नहीं बता सकता हूँ। यह गलत है कि
मैंने Injured उमेश [illegible] का कोई
X-ray नहीं लिया था। यह ठीक है
कि यह X-ray मैंने 13.9.2008 को
लिया है। Injured को HIG-107/80 ने
indentified किया था। X-ray मैंने
Dr. के कहने पर लिए थे।

[signature]

[signature]
[illegible] Hamirpur (H.P.)
6.2.2010

[illegible]

(27)

PW/6 — ब्यान श्री सुनील कुमार Constable No. 180, M.C. Police Station [illegible]

बयान किया कि मैं वर्ष 2008 में MC थाना [illegible] में कार्यरत हूँ। मैं रपट नं 82 व Report no 90 की तलकियत record लाया हूँ। इन दोनों Reports की नकलें Ext PW6/A व PW6/B मैंने तैयार किया था। व मुताबिक असल सही है।

मैं [illegible] लाया हूँ। आज [illegible] M.L.C. हेतु अस्पताल [illegible] M.L.C. [illegible] लिखा था। [illegible] M.L.C. [illegible] Medical [illegible] I.O. [illegible] F.I.R. [illegible]

6.2.2010

B-11

28

P.C. 21/08
St vs Rajiv

न० 10 है। यह ठीक है कि रपट न० 87A पर तफतीश रिकार्ड है। थाने की तरफ से रपट दर्ज हुई है। यह ठीक है कि रपट 10.40 PM को दर्ज की गई है। यह भी ठीक है कि उपनिरीक्षक की रपट न० 10, FIR बाद समय 11.45 PM पर दर्ज है। यह ठीक है कि जो मुझे आज Photo copy F.I.R. दिखाई है जो अदालत द्वारा की तरफ से जो मार्क D है (objected to) As original F.I.R. Register not brought by the witness today in the Court.

RO&AC.
6/9

(H.P.)
6.9.2010

P.Ch. 211-I/08
St vs Rajiv

(29)

PW 7

- 22 -

ब्यान श्री / ASI Jai Gopal at present P.T.C. Daroh Distt. Kangra (HP)

[illegible]
25.5.2010

ब्यान किया कि वर्ष 2008 में मैं बतौर I.O. थाना सदर हमीरपुर में तैनात रहा हूँ। दिनांक 25.7.2008 को मैं रात्री duty के मुताबिक गश्त पर रवाना था तो थाना से वायरलैस telephone सूचना मिली कि अणु में झगड़ा हो रहा है तो मैं तुरन्त अणु मौका पर पहुंचा जिस पर मैंने H.C. [illegible] को अणु चौकी से रवाना किया व स्वयं R.H. हमीरपुर पहुंचा जहां पर [illegible] Ext PW7/A M.O. [illegible] व [illegible] का medical करवाया, फिर M.L.C. [illegible] हासिल की व [illegible] का ब्यान U/S 154 Cr.P.C. कलम बन्द किया जो Ext PW7/B है। असल ब्यान Ext PW7/B को कानूनी [illegible]

[illegible] No. IV, Hamirpur (H.P.)
25/5/2010

बताया लाया जाता। जिस पर मुकदमा
के F.I.R. Ext Pw7/C दर्ज कराया
हुई जो SHO श्री [illegible]
की [illegible] है। मैं उनके हस्ताक्षरों
को शिनाख्त करता हूँ [illegible]
उनके [illegible] जारी किया गया दिनांक
5-8-2008 को मैं मुकाम [illegible] गांव पर
पहुँच कर वादी की निशानदेही
पर नक्शा मौका Ext Pw7/D
तैयार किया। दौराने तफ्तीश
वादी उमेश सिंह ने 1 कि अदद
कमीज Ext P1 व पजामा
Ext P2 पेश किया जिसे
मैंने Ext Pw7/A द्वारा कब्जा
Police लिया था। मैंने उस
दिन वादी उमेश सिंह व
गवाह विशाल के बयान
अंकित किए थे। अभियुक्त [illegible]
[illegible] Ext Pw7/E [illegible]
[illegible] Ext Pw7/F व [illegible]

Court No. IV, Hamirpur (H.P.)

(31)

P.ch. 211-I/08
[illegible] vs Rajiv

गवाहान ने ब्यान आगे करने पर
[illegible] मेरे केस [illegible] को दोषियों
ने दिखाया [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] पर उन्हें गिरफ्तार करके
अमानत [illegible] पर रिहा किया गया
मौ. [illegible] [illegible] की [illegible] [illegible] होने का
[illegible] Inspector/SHO
[illegible] [illegible] के पास पेश की
(न होना) [illegible] का पालन नहीं
करके [illegible] [illegible] किया गया

मैं मानता हूँ कि अनीत कुमार
की तलाशी से F.I.R. No 222/2008
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] तलाशी में [illegible]
[illegible] है। मैंने [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] की [illegible]
अनीत कुमार ने [illegible] [illegible] [illegible]
था कि उसने भी F.I.R. दर्ज

...No. IV, Hamirpur (H.P.)
25/5/2010

B-13 32

~~28~~

कालोनी की तरफ से बढुआ
25.7.2008 को मैं गया
गिरफ्तारी 5.8.2008 को
हुई थी। इस मुकदमे की
तफतीश 25.7.2008 को Hand
Over (हैंड ओवर) मुझे पता नहीं
है कि अजीत कुमार का भी
Medical हुआ था या नहीं।
यह गलत है कि आरोपीगण
उमा देवी ने शादी की रात
को गाली गलौच की
परेशान कर रहा था। यह
गलत है कि पत्नी की ओर
अजीत कुमार को सारी रात
बढुआ नाली जगह पर
दुकान के बिजली बोर्ड का
दफ्तर है। मैं नहीं कह
सकता कि वहाँ पर रिहायशी
मकान भी बने हुए हैं।

Court No. IV, Hamirpur (H.P.)
25/5/...

- 5 - P.Ch. 211-II/08
St vs Rajiv (33)

यह ठीक है कि दुकान में लोग
दुकानदारी का आते जाते रहते
हैं। मैंने आस पड़ोस के दुकान
वालों से कोई लोगों के हस्ताक्षर
भी [illegible] U/S 161 Cr.P.C. के
बयान भी लिखे थे। मैंने
गवाहान किशनलाल यादव के प्रकाश
तथा श्री देवराज, राजेश, प्रकाश
दीना नाथ आदि के बयानात लिखे
थे। यह गलत है कि मैंने
recovery memo. 15 दिन के
बाद बनाया है बल्कि
लगभग 10 दिन के बाद 5.8.2008
को बनाया था) यह गलत है
कि मैंने recovery memo [illegible]
[illegible] बनाया है।
Complainant को जिस
दिन चोट लगी थी [illegible]
बहुत [illegible] इस में
और किसी बात के evidence

Court No. IV
23/5/[illegible]

create करने के लिये ये कार्यवाही की गई थी। मैं गलत है कि मैंने अखबार के आधार पत्र के लिये की छुट्टि मौका पर 5.8.2008 को लिख दी। मैं गलत है कि मैंने अखबार के आधार पर ही इसके उपरोक्त लिखे को ऐसे कोई साक्ष्य (evidence) न आ रही थी मैं गलत है कि मैंने complainant के साथ मिल दोषियों के खिलाफ झूठा केस दर्ज किया गया था दोषियों की FIR को दर्ज किया गया मैं गलत है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ।

[illegible]

[illegible] ASI

Judicial Comm[illegible]
23/5/2010

[illegible]
23/5/2010

Pch. 211-I/08
St vs Rajiv

35

-28-

PW-8 :- Statement of Dr. Kamaljit Singh, C.H.C. Syri, Distt. Solan.

on oath
27-05-2011.

Stated that in the year 2008, I was posted as M.O. Dental at R.H. Hamirpur. On dated 2-8-08 I examined Uttam Singh S/o Govindu Ram, Aged 66 years; The case was reffered to me by M.O. R.H. Hamirpur for opinion regarding dental injury. The following injuries were noted.

I. Extra oral examination: (A) There was slight haemotoma and parcly healed abrasion 2" x 1.5" in dimension present on the upper lip left side corresponding upper anteriors.

(B) There was slight haemotoma present on lower lip corresponding to lower anteriors.

II. Entra Oral examination. There was parcly healed lacerated wound present intra oraly corresponding to upper anteriors on left side,

III. Number of teeth present

5431	345
87654321	1234568

Judicial Magistrate
Court No. IV, Hamirpur (H.P.)

-2-

IV. Oral hygiene fare.

Patient complaint of dislodgement of 1|, which had not been brought by him.

On examination there was avulsed tooth 1|.

I advised I.O.P.A. X-Ray of 1|2. I.O.P.A. X-Ray of |12 showed fracture socket of 1|.

Patient brought his medical examination done on 25th of July 2008 and came for dental opinion on 2-8-08. Hence the nature injuries was grevious with the blunt weapon. The injury in M.L.C. Ext. PW8/A can be caused by a fist blow. M.L.C. Ext PW8/A is in my hand writing and bears my signatures.

x x x by Ashwani Thakur, Adv.

Injuries mentioned in M.L.C. Ext. PW8/A can be caused by a fall on hard surface.

Judicial Magistrate
Court No. IV, Hamirpur (H.P.)

MC
7-4-13

Rch. 211-I/08
St. vs Rajiv

(37)

-30-
-3-

X X by Sh. R. R. Dhiman, Adv.

It is incorrect to suggest that the dental hygienic condition of the injured was poor, Self stated that the same was fare. This was a reffered case from M.O. R.H. Hamirpur. Original M.L.C. has not done by me.

ROHAC:
[signature]

Certified that the Statement of witness has been Recorded by the Reader at my dictation.
[signature]
Civil Judge (Jr. Divn.) / JMIC/ACJ
Court No. IV, Hamirpur, H.P.

[signature]
Judicial Magistrate
Court No. IV, Hamirpur (H.P.)

[stamp] MC
3-11-11

B-16 —
P.Ch. 211-I/08
St. vs Raju

24 (38)

P.W-9 :- ब्यान ऊधम सिंह पुत्र गोविन्द राम, उम्र 68 साल, वासी वार्ड नं० 1, हीरा नगर, हमीरपुर।

सशपथ
14-11-2011

ब्यान किया कि 25 जुलाई 2008 की बात है, समय करीब नौ बजे शाम का था। मैं अपने घर से पैदल अणु की तरफ जा रहा था तो जब मैं बिजली घर Complaint के दफ्तर के पास पहुंचा तो आगे देखा तो 4-5 बच्चे रोड पर Cross कर रहे थे, तथा गाड़ियां इधर-उधर आ-जा रही थी। बच्चे छोटे थे तथा खेल रहे थे। मैंने उनको कहा कि आप गाड़ी के नीचे आ जाएंगे तथा इधर से भाग जाओ। मेरे ऐसा कहने पर 2-3 बच्चे अणु कालेज की तरफ चले गये व दो बच्चे दुकान के अन्दर चले गये। मैंने उन बच्चों को जोर से कहा कि यहां से भाग जाओ, इस पर दो-तीन लड़के जो दुकान की छत पर बैठे थे नीचे आये और मुझे गाली गलौच करनी शुरू कर दी तथा मुझे घसीट कर

Judicial Magistrate 1st Class, Court No. IV, Hamirpur, H.P.

— 2 —

सड़क पर ले गये और मारपीट शुरू कर दी। इनमें से एक लड़का जग्गू नामक था उसने मुझे बहुत मारा और मेरा चश्मा टूट गया व दान्तों में चोटें आयी तथा दान्तों से खून निकल रहा था। उसके बाद एक व्यक्ति आया तथा उसको मैंने अपने घर का फोन नम्बर बताया और फोन करने को कहा। जिस पर मेरा लड़का मौका पर आया और मुझे गाड़ी में Hospital ले गया। मारपीट करने वाले तीन-चार लड़के थे, जिनमें से तीन हाजिर अदालत है। पुलिस Hospital में आई थी। मेरा ब्यान पुलिस ने लिखा था जो Ext. PW7/B है जिसके नम्बर लाल दायरा Mark-A में मेरे हस्ताक्षर है। फिर 5 अगस्त को पुलिस ने मुझे थाना में बुलाया था व मेरे खरोंच वगैरा वाला कमीज व पैजामा को कब्जे में लिया था। इस बारा फर्द कब्जा Ext. PW1/A बनी थी। कमीज Ext. P1 व पैजामा Ext. P2 देखा

Judicial Magistrate 1st Class, Court No. V, [illegible]

MCP

लिये है, नहीं है। MLC Ext. PW8/A व Ext. PW9/A पर मैंने अपने हस्ताक्षर किये हैं। जिस व्यक्ति ने मेरे घर को फोन किया था, मैं उसका नाम नहीं जानता हूँ। दोषीगणों ने पहले मेरे ऊपर पत्थर फैंके थे फिर हाथ-मुक्कों से मुझे मारा था। मारपीट का समय मुझे किसी ने न देखा था।

Judicial Magistrate 1st Class, Court No. IV, Hamirpur, H.P.

x x x by Sh. R.R. Dhiman, Adv. for accused persons

मैं मुलजिमों के नाम न जानता हूँ। केवल एक का नाम जानता हूँ जो कि जग्गू नाम का है। मैं अमित को न जानता हूँ। यह गलत है कि उस दिन मैंने बहुत शराब पी थी और चल फिर न सकता था। यह गलत है कि मेरे Medical में शराब आई थी। मुझे पता नहीं है अभियुक्त अमित Bajaj alliance में Agent का काम करता है। यह गलत है कि इसी सिलसिले में यह (Amit) वहां गया था। यह ठीक है कि अमित, राजीव के लैटर पर बैठे थे। मुझे पता नहीं है कि राजीव के मकान के

साथ कोई राजो नाम की औरत रहती है। यह गलत है कि मैं राजो देवी को बखूबी जानता हूं। यह गलत है कि शराब के नशे में उस औरत को गालियां दे रहा था। यह गलत है कि राजीव ने मुझे कहा कि आप उसको गालियां क्यों दे रहे हो। यह गलत है कि इस बात पर मैंने पत्थर मारने शुरू कर दिये। यह गलत है कि एक पत्थर अमित के सिर लगा था। मुझे पता न है कि अमित के सिर पर गहरी चोट आयी थी और खून निकला था। मुझे पता न है कि अमित के कपड़ों पर खून गिरा था, खुद कहा कि मेरा चश्मा टूट गया था मुझे कुछ नज़र न आ रहा था और मेरे दांतों से खून बह रहा था। मुझे पता न है कि चोट लगने के बाद अमित नीचे आया था, खुद कहा कि जग्गू के साथ अन्य लड़के आये थे। यह गलत है कि

Judicial Magistrate 1st Class, Court No. IV, Hamirpur, H.P.

-35-

आमित को छुड़ाने 3-4 लड़के आये थे। यह गलत है कि मैंने आमित की पिटाई की है। मुझे ना पता है कि इस मुकदमे की और कोई F.I.R. आमित की तरफ से दर्ज हुई है। मुझे पता ना है कि उस F.I.R. का नम्बर 222 है जो थाना हमीरपुर में दर्ज हुई है। मुझे ना पता है कि आमित का इसी बारे डाक्टरी मुलाहजा हुआ था। मुझे ना पता है कि इस F.I.R को पुलिस ने खारिज बनाई है। यह गलत है कि मैंने पुलिस के साथ मिलकर अपना केस अदालत में निकलवा दिया और आमित की तरफ से F.I.R. की मिसल को रफा दफा करवा दिया। मेरी टूटी हुई ऐनक मौका पर पुलिस ने कब्जे में न ली थी। यह गलत है कि मुझे जो चोटें आई, वह सभी शराब के नशे में गिरने के कारण आयी थी। यह गलत है कि दोषीगण ने

Judicial Magistrate I-Class
Court No. IV, Hamirpur, H.P.

मेरी कोई आरपार न की है। मैं दोषीगणों को पहले से जानता हूँ और ना ही उनसे मेरी कोई दुश्मनी थी। उपरोक्त कपड़े मैंने 10 दिन बाद पुलिस को दिये थे। यह गलत है कि मैंने कपड़े इसलिये लेट दिये थे कि मैं अपने हक में evidence तैयार कर रहा था। जो दूसरी तरफ घर बताये वह करीब 50 गज की दूरी पर थे। लोग आ-जा रहे थे। मैं ना बता सकता हूँ कि कितने लोग आ-जा रहे थे। मैं आमित को ना पहचानता हूँ इसलिये मैं ना कह सकता हूँ कि दोषीगणों में आमित कौन है। मैं ऐनक हर वक्त पहने रखता हूँ क्योंकि ऐनक के बिना मुझे दिखाई न देता है। यह गलत है कि मैंने झूठा बयान दिया है।

ROTAC

Judicial Magistrate 1st Class,
Court No. IV, Hamirpur, H.P.

Certified that the Statement of [illegible] has been Recorded by the [illegible]

Civil Judge (Jr. Divn.)/JMIC/R.B.
Court No. IV, Hamirpur, H.P.

Examined [illegible]

- 13-19

27
44

PCh. 211-I/08
-3/ [struck] Rajiv

PW10 Statement of Dr. Khanti Thakur, at present MO Aastha Hospital Pakka Bharo, Hamirpur, H.P.

ONSA
19-3-2013

Stated that in 2008 I was posted at RH Hamirpur, H.P. on 25-7-2008 Police brought Velham Singh for Medical examination with the alleged history of being beaten up by other person. on examination following injuries were noted :-

1. Abraison on nose & blood was Coming from Both Nostrile and was advised X-Ray Scull and ENT opinion.
2. Swelling on upper lip and lacerated wound below upper lip
3. Frontal teeth were found missing and fresh blood was Coming from its roots and was advised dental opinion.
4. Abraison measuring 10cm in length .5 cm in width was present on Chest left side crepitus was felt over the rib was advised X-Ray chest
5. Complaning of Back pain and was advised X-Ray of L.S. spine.

The patient was referred for dental opinion for Injury No. 3 & 4. For injury No. 3 & for Radiologist opinion for injury No. 1 and for ENT opinion for injury No. 1 and as per the report of Radiologist, Dental,

Chief Judicial Magistrate
Hamirpur (H.P.)

(45)

-38-

& ENT the final opinion was given. Injury No. 2 & 5 were found simple and remaining injuries were grevious caused by blunt weapon with in the duration of 1-2 hrs. (objected to on the mode of proof) MLC Ext. PW/A was issued by me which is in my hand and bears my signatures. These injuries are possible by beating and fist blows, kicks.

X X X X X X X X X X X

It is correct to suggest that I have not brought the original MLC Register self stated the same was not asked to brought. I do not know that on the same day I have conducted the medical examination of Amit Kumar. I don't remember the he had sustained injuries or not. It is correct to suggest that the injuries sustained by Udham Singh are possible by falling except inj. No. 4.

RO & AC

Chief Judicial Magistrate
Hamirpur (H.P.)

28

B-20

(46)

-39-

Statement of Sh. R.R. Dhiman, Advocate for the accused Amit Kumar

W.O
2-4-2013

Stated that I tender in evidence MLC of accused Amit Kumar as Ext. D-I & Copy of FIR Ext. D-2 in evidence and close the defence evidence on behalf of accused Amit.

ROB AC
(signature)

(signature)
Chief Judicial Magistrate
Hamirpur (H.P.)

No. of Application C.R. E	3842
Date of Presentation	2-4-13
Name of Copyist	Ramesh
Date of Completion of Copy	3-4-13
Date of Examination and Attestation of Copy	3-4-13
Cause of Delay if any	—
Total Pages/ words	39 Pages
i) Costs of Copy	Rs
ii) Urgent fee if any	—
iii) Registration/ Postal Charges	—
TOTAL	—
Date of Payment Receipt	4/4/13

Certified to be a True Copy
(signature)
Examiner
District & Sessions Judge
Hamirpur (H.P.)
Authorised U/S 76 of Indian Evidence Act 1872
5-4-13